भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1665

जिसका उत्तर 01.08.2024 को दिया जाना है

सूरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड राजमार्ग

1665. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अक्कलकोट और दक्षिण सोलापुर तालुका में सूरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजमार्ग निर्माण के कारण मृदा उर्वरता और कृषि उत्पादकता पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभाव के बारे में किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों की अपने खेतों तक पहुंच सुनिश्चित करने और उर्वरता हानि के बिना शेष भूमि का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए वैकल्पिक पहुंच मार्गों/अवसंरचना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सूरत-चेन्नई ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत किया जाता है। चूंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है, इसलिए भूमि-स्वामियों को मुआवज़ा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इससे भूमि-स्वामियों को उचित मुआवजा मिलना सुनिश्चित होता है।

(ख) किसी भी राजमार्ग के निर्माण के लिए, प्राकृतिक जल निकासी और क्रॉस-जल निकासी आवश्यकताओं और निर्माण सामग्री के भंडारण के लिए निर्दिष्ट स्थलों सहित अन्य पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संरेखण को अंतिम रूप दिया जाता है और डीपीआर तैयार की जाती है। परियोजना के निर्माण के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक वैधानिक उपाय सुनिश्चित

किए जाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आस-पास के क्षेत्रों की मिट्टी की उर्वरता और कृषि उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ग) आईआरसी मानकों एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट बिंदुओं पर अपेक्षित वाहन अंडरपास, बॉक्स संरचनाओं आदि का प्रावधान है, ताकि राजमार्ग पर किसानों और वाहनों सहित आम जनता की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

*****